

सम्पादकीय

रैगिंग का रोग

गुजरात में पाटन जिले के जीएमआरएस मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र अनिल मेथनिया की कथित रैगिंग से हुई मौत दर्दनाक तो है ही, शर्मसार करने वाली भी है। अखिर रैगिंग पापांडी के बाद भी ऐसी घटनाएं केसे घट जा रही हैं? पिछले दो वर्षों में अकेले गुजरात में रैगिंग की आठ घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी जीन दिन घरहो इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज का एक वाकाया सामने आया था, जिसमें पीजी छात्र अधिकारी मरीज ने लगातार रैगिंग की वजह से अपनी सीट छोड़ने का फैसला किया, मगर कॉलेज प्रबंधन ने अधिकारी के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और उसे इंसाफ दिलाने के बायि उसके मूल मानपणपत्र लौटाने से ही इनकार कर दिया और इसके लिए उससे पहले 30 लाख रुपये की बोनस दिया चुकाने की मांग कर डाली। अंततः अधिकारी की शरण लेनी पड़ी, जहां से उसे राहत मिली। अदालत ने कॉलेज डीन को न सिर्फ़ फौरन दस्तावेज़ लौटाने का आदेश दिया, बल्कि अपनी कार्रवाई के संबंध में बाकायदा अदालत को सूचित करने की हिदायत भी दी।

अतारह साल के अनिल मेथनिया को तो महज एक महीने घरहो दखिला लिया था। खबरों के मुताबिक, सीनियर छात्रों ने तीन घंटे तक उसे खड़ा रखा और फिर डास करने को मजबूर किया, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा और थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब 15 सीनियर मेडिकल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, बाल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और कॉलेज ने उन सबको संस्कृत भी कर दिया है। निस्सदैद, दोषी छात्रों के खिलाफ हाईकोर्ट ने, मगर कॉलेज प्रबंधन के बायिं बायों द्वारा जाना चाहिए। अनिल को मोत के मुहूर में धकेलने का जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन भी कम नहीं है। अखिर कॉलेज में रैगिंग जारी है, इस बात से प्रबंधन कैसे गफिल रहा?

बाकायदा जा रहा है कि सभी आरोपी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। यह जीएमआरएस कॉलेज प्रबंधन की बड़ी नाकोरी है कि वह उन्हें दिनों में इन जीवानों के मानवीयता का बुनियादी पाठ भी न पढ़ा सकता। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ़ आरोपी छात्रों की नहीं, बल्कि कॉलेज प्रशासन के संबंधित ओहेदों की भी तय होनी चाहिए।

रैगिंग से होने वाली मौतों व हत्याओं ने अब तक न जाने कितने चर्चों के दीपक बुझा दिए हैं और अनिल की मौत बता रही है कि इस सिलासले को तोड़ना अब कितना जरूरी हो गया है। यह बताने की जरूरत नहीं कि कितने परिश्रम के बाद एक किशोर एमबीबीएस की परिक्षा पास करता है। फिर उसके बाद एक खाली बड़ी नाकोरी है कि इसके बाद वह अपने नागरिकों को स्तरीय चिकित्सा सेवा मुहूर्या कर सके। वैसे तो रैगिंग कहीं पर, किसी भी रूप में अवैधानिक है, फिर मेडिकल कॉलेजों में तो यह कहीं ज्यादा बड़ा गुनह है। अखिर जिन डॉक्टरों में हम इंश्वर का दूसरा अस्त्र देखते हैं, वे सात-दो साल की पड़ाड़ी के बाद भी इन्हें संवेदनहीन कैसे बने रहते हैं कि अपने ही जूनियर साथी की जिंदगी से खेल जाते हैं? ऐसे डॉक्टर डिग्री लेकर मरीजों की, खासकर हासिये के रोगियों की किस संवेदनशीलता से इलाज करेंगे? रैगिंग के खिलाफ एक राष्ट्रीय अधियान की त्वरित आवश्यकता है, ताकि अनिल जैसी कीमती प्रतिभाएं यून मारी जाएं।